न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 85/19 GCMS NO 2019/00182

1. फारूख हुसैन पुत्र पीरमोहम्मद जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम बलरिया हाल निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. [illegible]स मोहम्मद पुत्र पीरमोहम्मद जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम बलरिया हाल निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. [illegible]ाना पुत्री ताजूखां पत्नि रूशतम जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम बलरिया हाल निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी
4. फुला पुत्री ताजूखां पत्नि सत्तार मोहम्मद जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम बलरिया हाल निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. अनिस मोहम्मद पुत्र दीनमोहम्म्द जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम बलरिया हाल निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. चन्दा बानो पुत्री दीनमोहम्मद पत्नि सहीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बीडी फैक्ट्री के पास वार्ड न0 3 उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. अनीसा बानो पुत्री दीन मोहम्मद पत्नि शादिक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पवन मेटल के सामने मांगरोल रोड,बारा जिला बांरा
4. नूर बानो पत्नि दीन मोहम्मद जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम बलरिया हाल निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. जरिये उप जिला कलेक्टर तत्कालीन सवाईमाधोपुर हाल चौथ का बरवाडा
6. जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) चौथ का बरवाडा

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध दिनांक 5.3.86 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री रविशंकर सैनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल वहाव

दिनांक 29.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 5.3.86 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि [illegible] पीरमोहम्मद पुत्र ताजू खां जाति मुसलमान व दीन मोहम्मद पुत्र ताजू खां निवासी [illegible] द्वारा दावा तकसीमा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आशय का पेश किया कि भूमि साबिक खसरा न0 233,378,708,960,975,1011,1330,959/1421, 799, 385 जो कि संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका आपसी सहमति से विधिवत बंटवारा किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र आपसी सहमति के आधार लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर वादी पीर मोहम्मद के वारिसान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किये जाने हेतु बार बार पत्राचार किये जाने के उपरान्त किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अधिनस्थ न्यायालय मे उपलब्ध नही होने की सूचना न्यांयालय हो प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत 2009–23 के अनुसार साबिक खसरा न0 233 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 378 रकबा 2 विस्वा, 385 रकबा 3 विस्वा, 708 रकबा 11 बीघा 11 विस्वा, 960 रकबा 8 विस्वा, 975 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा, 1011 रकबा 6 बीघा 7 विस्वा, 1063 रकबा बीघा 12 विस्वा, 1330 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा, 959/1421 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 40 बीघा कृषि भूमि तन बलरिया मे ताजू खां बल्द हसन खां जाति मुसलमान के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2009–23 के अनुसार खाता संख्या 17 के खसरा न0 1335 रकबा 10 विस्वा, 1336 रकबा 32 बीघा 16 विस्वा, 1342 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 38 बीघा 11 विस्वा कृषि भूमि राजस्व तन बलरिया मे ताजू खां बल्द हसन खा जाति मुसलमान के नाम राजस्व रिकार्ड मे 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज है एवं जमाबंदी सवंत 2009–23 के अनुसार खाता संख्या 37 का खसरा न0 1014 रकबा 11 विस्वा कृषि भूमि तन बलरिया मे ताजू खां बल्द हसन खां जाति मुसलमान के नाम राजस्व रिकार्ड मे 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे उक्त भूमि के साबिक खसरा न0 के नवीन नम्बर कायम हो चुके है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य व सुनवाई किये बगैर ही आलोच्य तकासमा किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 का उक्त सम्पति से कोई वास्ता नही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 स्वत्व व अधिकार नही है। हसन खां के दो पुत्र थे तथा हसन खां के नाम किसी प्रकार की कोई सम्पति राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही थी ... रिज्यूम के समय ताजू खां पुत्र हसन खां जो कि अपीलांट के पूर्वज थे उक्त भूमि पर ... जो ताजू खां के सगे भाई थे का भी उक्त भूमियो पर ... रहा है। उक्त भूमि पैतृक नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। उक्त कृषि भूमि ठाकुर मानसिह द्वारा ताजू खां को प्राप्त हुई है। ताजू खां की मृत्यु हो जाने पर मृतक के बैध वारिस एक मात्र पुत्री पीरमोहम्मद एवं पुत्रियो फुला,पाना ही थी लेकिन ग्राम पंचायत बलरिया ने साज कर अवैध रूप से गलत खानदान सजरा तैयार करते हुए ताजू खां पुत्र हसन खां फौत होने के उपरान्त मृतक के वारिसान दो पुत्र बताये पीर मोहम्मद व दीन मोहम्मद जबकि ताजू खां पुत्र हसन खां के मात्र एक ही बेटा एवं दो बेटिया थी। जिसका नाम पीर मोहम्मद एवं पुत्रियां फूला व पाना है। दीन मोहम्मद वास्तविक रूप से गफूर खां का पुत्र है दीन मोहम्मद के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे अवैध रूप से ताजू खां दर्ज किया गया है। जो निराधार एवं गलत है दीन मोहम्मद गफूर खां का जायज वारिसान है। दीन मोहम्मद ने अवैध तरीके से राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो से साज कर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने पिता का नाम छिपाते हुए एवं अपीलांटगण के दादाजी ताजू खां को अपना वास्तविक पिता बताते हुए विरासत का नामा0 दर्ज करवाने के दौरान दीन मोहम्मद पुत्र ताजू खां राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा लिया है। जबकि दीन मोहम्मद के वास्तविक पिता गफूर खां का उपरोक्त किसी भी भूमि पर अधिकार व कब्जा काश्त या उपकाश्त या सांझे बांटे पर यह कृषि भूमि नही थी। उपरोक्त कृषि भूमि मे से वाद न0 3008 दिनांक 5.3.86 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष सुलेमान पुत्र अकबर बनाम पीर मोहम्मद , दीन मोहम्मद पुत्र ताजू खां जाति मुसलमान निवासी बलरिया के पक्ष मे साबिक खसरा न0 1011 रकबा 6 बीघा 7 विस्वा का दावा इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया था जिसकी पीर मोहम्मद पुत्र ताजू खां को कोई जानकारी नही थी साथ ही दिनांक 5.3.86 को पीर मोहम्मद पुंत्र ताजू खां व दीन मोहम्मद पुत्र ताजू खां के मध्य साबिक खसरा न0 233 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 378 रकबा 2 विस्वा, 708 रकबा 11 बीघा 10 विस्वा , 960 रकबा 8 विस्वा, 975 रकबा 4 बीघा 9 विस्वा, 1011 रकबा 6 बीघा 7 विस्वा, 1330 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा, 959/1421 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 799 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा का पीर मोहम्मद पुत्र ताजू खां को किता 9 रकबा 16 बीघा 14 विस्वा व दीन मोहम्मद पुत्र ताजू खां को किता 9 रकबा 16 बीघा 16 विस्वा का फर्जी तरीके से तकासमा किया गया है जिसकी जानकारी पीर मोहम्मद को नही थी। यदि उक्त प्रकरण की जानकारी पीर मोहम्मद पुत्र ताजू खां को होती तो सुलेमान पुत्र अकबर के इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही मे जिस प्रकार से पीर मोहम्मद के द्वारा सहमति हस्ताक्षर होना बताया गया है तो उक्त खसरा न0 1011 रकबा 6 बीघा 7 विस्वा का दीन मोहम्मद पुत्र ताजू खां व पीर मोहम्मद पुत्र ताजू खां के मध्य पुनःतकासमा मे उक्त खसरा न0 को शामिल किया गया है जबकि उक्त खसरा न0 को पीर मोहम्मद व दीन मोहम्मद के मध्य पुनःतकासमा मे शामिल किया जाना न्यायोचित नही था ना है। साबिक खसरा न0 1011 रकबा 6 बीघा 7 विस्वा कृषि भूमि मे ताजू खां पुत्र हसन खां के नाम राजस्व रिकार्ड मे ठाकुर मानसिह से जागीरी रिज्यूम के समय ताजू खां पुत्र हसन खां को प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति मे उक्त खसरा न0 का गलत होना प्रतीत नही होता है। राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो व रेस्पोडेन्टगण के मृतक पिता ने साज कर [illegible] फर्जी व अवैधानिक तरीके से इन्द्राज दुरूस्ती कराई है जो प्रारंभ से शून्य एवं प्रभावहीन [illegible] जिसकी आड मे दीन मोहम्मद पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ताजू खां व पीर मोहम्मद पुत्र ताजू खां के मध्य भी फर्जी तकासमा तैयार कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाया गया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कानूनी नियमो के विरूद्ध है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तकासमा टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तकासमा की पुश्त पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाई जिससे विधिवत रूप से फैसला किये बगैर ही राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा आलोच्य तकासमा किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल कर दिया गया। जबकि तकासमा की पुश्त पर उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा हस्ताक्षर कर देने मात्र से निर्णय नही हो जाता बल्कि निर्णय लिखा जाता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का तकासमा अपास्त किये जाने योग्य है। मृतक पीर मोहम्मद की पुत्रियां बिलकिस बानो, रेशमा बानो, रूकसाना बानो, आबेदा बानो, व उलफत बानो पत्नि पीर मोहम्मद द्वारा अपीलांट संख्या 1 लगायत 2 के पक्ष मे हक त्याग पत्र विलेख निष्पादित व पंजीवद्व कर दिये जाने के कारण उनको इस अपील मे पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 आर टी एक्ट के अन्तर्गत किसी प्रकार का वाद व कार्यवाही प्रस्तुत नही किये गये है इस हेतु अपीलांट ने जानकारी करने पर ऐसी किसी वाद की पत्रावली अथवा प्रकरण नही होना पाया गया है इसलिए उक्त तकासमा पूर्णतया संदिग्ध प्रतीत होता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय तकासमा काबिले खारिज है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को पूर्व मे नही थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संधारित निर्णय रजिस्टर की नकल लेने पर निर्णय की जानकारी हुई तब अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की जाकर अपील धारा 5 मिया अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.3.86 तकासमा खारिज फरमाया जाकर अपीलांट संख्या 1 ता 4 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमे अंकित किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 5.3.86 की जानकारी दिनांक 31.10.19 को जानकारी होना मानकर दिनांक 28.11.19 को अपील पेश की गई है। जो कि लगभग 40 वर्षो पश्चात बिलम्ब से प्रस्तुत की है और अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण भी अंकित नही किया है। जो इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य है। मियाद के बिन्दु के सबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट मत पारित किया गये है। रेस्पो0 अनीस चन्दाबानो अनीस के पिता व नूरबानो के पति दीन मोहम्मद के पक्ष मे तस्दीक हुआ नामान्तरकरण 70 वाके ग्राम बलरिया जो कि सन 1968 मे तस्दीक हुआ था के विरूद्व अपीलांट द्वारा एक अपील न्यायालय उप जिला कलैक्टर चौथ का बरवाडा के यहॉ अपील संख्या 4/19 उनवानी पाना बनाम अनीस मोहम्मद प्रस्तुत की थी जिसमे जानकारी की दिनांक 3.4.19 अंकित किया था जो अपील भी दिनांक 16.10.19 को निरस्त हो चुकी है। जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ होने पर दिनांक 18.11.19 को वर्तमान में [illegible] यथास्थिति बनाये रखे जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आदेश पारित किया है जिसका जमाबंदी मे भी अंकन हो गया है तथा उक्त अपील वर्तमान मे विचाराधीन है। अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 5.3.86 मे जानकारी की दिनांक 31.10.19 अंकित की है जबकि नामा0 संख्या 70 की अपील उप जिला कलेक्टर के यहॉ प्रस्तुत अपील की जानकारी दिनांक 3.4.19 होना अंकित किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि जानकारी होने की दिनांक भी भिन्न भिन्न है। जिससे यह सिद्व होता है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांटगण ने लोक अदालत मे पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 5.3.86 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की है जबकि लोक अदालत मे पारित निर्णय व डिक्री की अपील नही की जा सकती है। इस संबंध मे आर आर डी 2020 पेज 187 मे स्पष्ट अंकन है। इसलिए अपीलांट की अपील चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है। नामा0 संख्या 70 के आधार पर पीर मोहम्मद व दीन मोहम्मद के बीच आपस मे राजीनामा होने पर लोक अदालत मे दिनांक 5.3.86 को तकासमा का वाद स्वीकार होकर डिक्री किया गया है और उक्त डिक्री की पालना मे तहसीलदार द्वारा नामा0 संख्या 567 व 568 दिनांक 24.5.86 तस्दीक किया जाकर पीर मोहम्मद व दीन मोहम्मद के नाम पृथक पृथक खाता दर्ज कर दिया गया है और दोनो ही खातेदारो ने अपने अपने हिस्से की खातेदारी मे हमे कुछ भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया है और उनके नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। लेकिन अपीलांटगण ने रिकार्डेड खातेदारो शमीम बानो, रामकिशन मीना, चन्दा बानो, सहीदा, फूलीदेवी मीना, कैलाशी मीना को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है जबकि वह रिकार्डेड खातेदार है। इसलिए उक्त अपील नोन जोइन्डर आफ पार्टीज का नुक्स होने से खारिज योग्य है। दीन मोहम्मद के पिता का नाम ताज खां है जिसकी पुष्टि नामा0 संख्या 70 व दीन मोहम्मद की मृत्यु होने पर उसके मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी उसके पिता का नाम ताजू खां है तथा उसके समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, बैक पास बुक,सहकारी किशन कार्ड भूमि विकास बैक के ऋण खाता राशन कार्ड आदि समस्त दस्तावेजो मे दीन मोहम्मद के पिता का नाम ताजू खां है लेकिन अपीलांट एक चालाक किस्म के व्यक्ति है जिन्होने पता नही किस आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र मे दीन मोहम्मद के पिता का नाम गफूर खां अंकित करवा दिया जिसकी सूचना रेस्पो0 को नही दी गई। पीर मोहम्मद व दीन मोहम्मद जब तक जिवित रजे तब तक उन्होने किसी भी प्रकार की एक दुसरे के विरूद्व कोई आपत्ति नही की लेकिन उनकी मृत्यु पश्चात अपीलांटगण साजिश रचकर पिता के संबंध मे विवाद उत्पन्न कर दिया इसलिए अपील खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे पीर मोहम्मद पुत्र ताजू खां जाति मुसलमान व दीन मोहम्मद पुत्र ताजू खां निवासी बलरिया ने आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा कराने की प्रार्थना की गई थी। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से दिनांक 5.3.86 को भूमि का बंटवारा किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि दीन मोहम्मद के पिता का नाम ताजू खां नही होकर गफूर खा है। जबकि रेस्पो0 के अधिवक्ता के अनुसार दीन मोहम्मद के पिता का नाम गफूर खा नही होकर ताजू खां है। हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा आपसी सहमति के आधार पर किये गये बंटवारे के लगभग 40 वर्ष पश्चात पेश की गई है। उक्त बंटवारे के संबंध मे अपीलांटगण एवं रेस्पो0 के पूर्वज पीरमोहम्मद व दीन मोह[illegible]द के बीच कोई विवाद उत्पन्न नही हुआ। अपीलांटगण [illegible]र मोहम्मद व दीन मोहम्मद मृत्यु के उपरान्त यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि उक्त विवादित तकासमे की जानकारी दिनांक 30.9.19 को उक्त भूमि से संबंधित फर्जी नामा0 की अपील के लिमिटेशन की सुनवाई के दौरान रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत तकासमा की प्रति पेश करने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। इसलिए अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके जबाब मे रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन रहा कि नामा0 संख्या 70 वाके ग्राम बलरिया के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे उक्त निर्णय की जानकारी होना दिनांक 3.4.19 अंकित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि नही होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांट व रेस्पो0 के पूर्वजो की आपसी सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से किया गया है जबकि कानूनन लोक अदालत मे पारित निर्णयो की अपील नही की जा सकती है। विवादित आराजीयात मे से पक्षकारो द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमियो मे से कुछ भूमियो को अन्य व्यक्तियो को बेचान किया जा चुका है जिनके नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हो चुकी है, उनको अपीलांट द्वारा अपील मे आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील पक्षकारो के कुसंयोजन से भी बाधित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के लगभग 40 वर्षो के पश्चात पेश की गई है अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो चुका है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग [illegible]0 वर्षो के पश्चात बिलम्व से पेश की गई है , अपील बिलम्व से पेश करने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई विधिक कारण का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मे नही किया गया है जबकि कानूनन बिलम्व के संबंध मे प्रत्येक दिवस के लिए बिलम्व के कारण का उल्लेख करना आवश्यक है। उक्त विवेचन से अपीलांट की अपील मियाद बाहर एवं पक्षकारो के कुसंयोजन से बाधित होने एवं अपीलाधीन निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लोक अदालत का होने एवं लोक अदालत मे पारित निर्णयो की कानूनन अपील चलने योग्य नही होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.3.86 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner